



वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-29290856/29294700

F.No. E-OPT-12/21/2022-EO|05095
04-2025

Date: 11-

Clarification to Circular No. 02 Dated 03.01.2025

Subject: Clarification to Circular No. 02/2025 Dated 03.01.2025 - Applicability of Administrative Charges for Transfer of Assets & Liabilities Under Rule 74A of SEZ Rules, 2006-reg.

प्राधिकरण की 70वीं एवं 71वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, दिनांक 03.01.2025 के परिपत्र संख्या 02/2025 में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किए गए हैं:

In accordance with the decision taken in the 70th and 71st Authority Meeting, the following partial modifications are made to Circular No. 02/2025 dated 03.01.2025:

प्रशासनिक शुल्क: एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74ए के तहत आने वाले किसी भी उद्यमी या एनसीएलटी/डीआरटी/लिक्विडेटर/वित्तीय संस्थान द्वारा आवंटन के लिए प्रशासनिक शुल्क की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

Administrative Charges: Any incoming entrepreneur under Rule 74A of SEZ Rules, 2006, or allotment by NCLT/ DRT/ Liquidator/ Financial Institution, the administrative charges shall be calculated as follows:

1. न्यूनतम दर: लेनदेन लागत/मूल्यांकन का 3% न्यूनतम प्रशासनिक शुल्क लागू होगा।

1. **Minimum Rate:** A

2. लेनदेन लागत/मूल्यांकन: परिसंपत्तियों का लेनदेन लागत/मूल्यांकन समझौते, एमओयू या पार्टियों के बीच निष्पादित किसी अन्य कानूनी साधन में उल्लिखित लेनदेन मूल्य पर आधारित होगा। (जो भी अधिक हो)

minimum administrative charge of 3% of

Transaction cost/valuation shall be applicable.

3. भुगतान शर्तें: उप-पट्टा समझौते के निष्पादन से पहले आने वाले उद्यमी द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए।

2. **Transaction**

Cost/Valuation: The transaction cost/valuation of assets will be based on the transaction value mentioned in the agreement, MOU, or any other legal instrument executed between the

4. भुगतान का तरीका: भुगतान राइज ईआरपी मॉड्यूल के माध्यम से किया जाएगा।

प्रभावी तिथि और प्रयोज्यता: ये शुल्क 70वीं

प्राधिकरण बैठक के मिनट्स ऑफ मीटिंग (एमओएम) जारी होने की तिथि अर्थात् 11.10.2024 से लागू होंगे और अगले आदेश तक लागू रहेंगे। ये शुल्क एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74ए के तहत हस्तांतरित सभी संपत्तियों या एनसीएलटी/डीआरटी/लिक्विडेटर/वित्तीय संस्थान द्वारा आवंटन पर लागू होंगे, जिसमें एसईपीजेड एसईजेड के भीतर मौजूदा 11.10.2024 एलओए में स्वीकृति पत्र (एलओए) या अतिरिक्त स्थान हो, जहां स्वीकृति (एलओए) या एसईपीजेड एसईजेड 11.10.2024 को या उसके बाद दी जाती है। एलओए लेनदेन लागू तदनुसार लागू होगी। इसे एसईपीजेड-एसईजेड प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

parties. (Whichever is higher)

3. Payment Conditions:

The charges must be paid by the incoming entrepreneur before the execution of the sublease agreement.

4. Mode of Payment: Payment shall be made through Rise ERP Module.

Effective Date & Applicability: These charges shall be applicable with effect from the date of issuance of the Minutes of Meeting (MOM) of the 70th Authority Meeting, i.e., 11.10.2024, and shall remain in force until further orders.

These charges shall be applicable to all properties transferred under Rule 74A of SEZ Rules, 2006, or allotment by NCLT/ DRT/ Liquidator/ Financial Institution wherein a Letter of Approval (LOA) or additional space in an existing 11.10.2024 LOA within SEEPZ SEZ, where approval (LOA) or SEEPZ SEZ is granted on or after 11.10.2024. The LOA transaction cost shall apply accordingly

यह सीपज़-एसईजेड प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This is issued with the approval of Chairperson, SEEPZ-SEZ Authority.

Signed by Mital Sudhir
Hiremath

Date: 11-04-2025 18:08:47
(मितल हिरेमठ)

संयुक्त विकास आयुक्त,
सीपूज-सेज

प्रतिलिपि,

- 1 सभी यूनिटधारक, सीपूज-सेज
- 2 डीसीओ, जेडीसीओ, डीडीसीओ, सीपूज-सेज
- 3 आईए-1 अनुभाग, सीपूज-सेज
- 4 संपदा वित्त अनुभाग, सीपूज-सेज
- 5 ईआरपी, सीपूज-सेज
- 6 कार्यालय आदेश फाइल/रजिस्टर

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096



Government of India
Ministry of Commerce & Industry
SEEPZ Special Economic Zone Authority
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

No.E-OPT-12/21/2022-EO / 00200

03/01/2025

Circular No. 02 Dated 03 /01/2025

विषय: एसईजेड नियम 2006 के नियम 74ए के अंतर्गत परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों से संबंधित शुल्क लगाने का प्रस्ताव।

Sub: Proposal for levy of charges related to applications received for transfer of assets and liabilities under Rule 74A of SEZ Rules 2006.

कृपया ध्यान दें कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 74ए के अंतर्गत परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के हस्तांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों से संबंधित शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिनांक 07.10.2024 को आयोजित प्राधिकरण की 70वीं बैठक में रखा गया था।

प्राधिकरण (डेवलपर) ने निर्णय लिया कि, एसईजेड नियम 2006 के नियम 18 2(ii) के अनुसार, नियम 74ए के तहत अनुमोदन प्राप्त करने वाले किसी भी आवेदक को प्राधिकरण से एनओसी प्रदान करना होगा। साथ ही वित्तीय संस्थानों, एनसीएलटी, डीआरटी आदि से बिक्री प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाली इकाइयों को भी प्राधिकरण (डेवलपर) से एनओसी प्राप्त करना होगा।

इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रस्तावों पर लेनदेन लागत/परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के प्रशासनिक शुल्क के रूप में न्यूनतम 3% का शुल्क लगाया जाएगा।


इसे SEEPZ-SEZ प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया गया है।

Attention is invited the proposal for levy of charges related to applications received for transfer of assets and liabilities under Rule 74A of SEZ Rules 2006 was placed in 70th Authority Meeting held on 07.10.2024.

Authority decided that, in terms of Rule 18 2(ii) of the SEZ Rules 2006, any applicant obtaining approval under Rule 74A need to provide NOC from Authority (Developer). Also units obtaining Sale Certificate from Financial Institutions, NCLT, DRT, etc. also need to obtain NOC from Authority(Developer).

It was further decided that, such proposals to be levied minimum 3% towards administrative charges of the transaction cost/ valuation of assets.

This issues with approval of Chairperson of SEEPZ-SEZ Authority.


(जय मनोज शाह)
उप विकास आयुक्त
सीपज़-सेज़ प्राधिकरण

Copy to:

1. सभी यूनिटधारक, SEEPZ-SEZ
2. कार्यालय आदेश फाइल
3. कार्यालय आदेश रजिस्टर
4. डीसीओ और जेडीसीओ, डीडीसीओ, सीप्ज़-एसईजेड
5. IA-I अनुभाग, SEEPZ-SEZ

-
-